

-:: आदेश ::-

समूह 'ख' के विभिन्नलिखित अधिकारियों को उनके काम के सम्बन्ध अंकित संख्या में तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम व पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	संख्या जहाँ स्थानान्तरित किया जाता है।	अव्युक्ति
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	धरिन्द्र कुमार कुरील, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	छत्रपति शाहू जी महाराज राजकीय पालीटेक्निक, बलरामपुर	राजकीय पालीटेक्निक, कोटवल, मन्डुवा	स्वयं के अनुरोध पर
2.	पवन कुमार, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, चांगीपुर, बिजनौर	राजकीय पालीटेक्निक, जनसद, गुजपट्टनगर	जनहित में
3.	विकास चौधरी, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, चांगीपुर बिजनौर	राजकीय पालीटेक्निक, मुरादाबाद	स्वयं के अनुरोध पर
4.	राहुल सिंह, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, चांगीपुर, बिजनौर	राजकीय पालीटेक्निक, भाजियाबाद	स्वयं के अनुरोध पर
5.	कपिल कान्त स्वरूप, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, छाध, भोगांच, जैनपुरी	राजकीय पालीटेक्निक, दूण्डला, फिरोजाबाद	स्वयं के अनुरोध पर
6.	अरविन्द कुमार गुप्ता, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, आलापुर, बदायूं	राजकीय पालीटेक्निक, लखनऊ	स्वयं के अनुरोध पर
7.	सुजेश कुमार मिश्रा, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, मुजहाना कुशीनगर	राजकीय पालीटेक्निक, भिलीहिली, अजमगढ़	स्वयं के अनुरोध पर
8.	विमलेश, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, ललितपुर	राजकीय पालीटेक्निक, झंसी	जनहित में
9.	एन०के० मिश्रा, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, फतेहपुर	छत्रपति शाहू जी महाराज राजकीय पालीटेक्निक, बलरामपुर	प्रशासनिक आधार पर
10.	यशवन्त कुमार, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, मिर्जापुर	राजकीय पालीटेक्निक, मुजहाना हाट, कुशीनगर	जनहित में
11.	राहित कुमार, प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण	राजकीय पालीटेक्निक, हरदोई	राजकीय पालीटेक्निक, पूरनपुर, पीलीभीत	जनहित में

उपरोक्त में से जिन्हें कार्मिकों का स्थानान्तरण स्वयं के अनुरोध पर है, उन्हें किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

सम्बन्धित संस्था प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित किये गये उपरोक्त संदर्भित कार्मिकों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बगैर कार्यमुक्त करके, उन्हें नये तैनाती स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दें।

स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना अनुशासनहीनता की परिधि में माना जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अस्वीकारित न किया जाये और यदि उपरोक्त कार्मिक इन आदेशों के विरुद्ध दबाव डालने का प्रयास करेगा, उसके इस